भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 5350
गुरुवार, 3 अप्रैल, 2025/13 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

महिला पायलट

5350. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में महिला पायलटों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) वैश्विक औसत की तुलना में देश में महिला पायलटों की वर्तमान प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख) : विमानन क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, डीजीसीए ने उद्योग हितधारकों हेतु "नागर विमानन क्षेत्र में लैंगिक समानता" पर एक एडवाइजरी जारी की है ताकि भारत के विमानन उद्योग में वर्ष 2025 तक विभिन्न पदों पर महिलाओं की संख्या 25% तक बढ़ाई जा सके।

विमानन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना नागर विमानन मंत्रालय की प्राथमिकता रही है। भारत में विभिन्न एयरलाइनों में महिला पायलटों का प्रतिशत 13% से 18% के बीच है, जो औसत आधार पर 15% से अधिक है। डीजीसीए ने वर्ष 2023 में महिलाओं को 294 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) जारी किए हैं, जो जारी किए गए कुल सीपीएल का 18% है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक विमानन लैंगिक समानता पर 27 अप्रैल, 2023 को जारी अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) की विज्ञप्ति के अनुसार, सेवारत महिला पायलटों का प्रतिशत वैश्विक स्तर पर 4.0% है।

*****